कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, इटावा।

पत्रॉक 946 /14—10—1 दिनॉक, इटावा, अक्टूबर, 05 2015

सेवामें,

उप जिलाधिकारी,
ताखा।

विषयः जनपद इटावा में ताखा तहसील मुख्यालय के निर्माण हेतु रूदौली वनब्लाक की 1.00 हे0 आरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति।

सन्दर्भः 1—वन संरक्षक (केन्द्रीय),भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय,(मध्य क्षेत्र),लखनऊ का पत्रॉक 8बी/यू.पी/09/25/2015/एफ.सी./864 दि0 01.10.2015

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भ में अवगत कराना है कि उक्त प्रकरण में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, के उपरोक्त सन्दर्भित पत्रॉक 8बी/यू.पी./09/25/2015/एफ.सी./864 दि0 01.10.2015 से कतिपय शर्तो के अनुपालन सुनिश्चित होने के उपरान्त सैद्धान्तिक स्वीकृति दी गई है, जिसका अनुपालन आपके स्तर से किया जाना है। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय के उपरोक्त पत्र में उल्लिखित शर्तो की बिन्दुवार अनुपालन आख्या एवं अभिलेख/प्रमाण पत्र आदि 03 प्रतियों में (स्पाइल बाइन्डिंग) में इस कार्यालय को उपलब्ध करायें, शर्तो का विवरण निम्न प्रकार हैः—

शर्त सं0—1ः— जो कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वनक्षेत्र के समतुल्य गैर वनभूमि अर्थात 1.00 हे0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि जमा करने के सम्बन्ध में है, तथा प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा आवश्यक धनराशि व गैरवनभूमि वनविभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण कराना होगा। कृपया प्रभावित वनभूमि के समतुल्य गैर वनभूमि अर्थात 1.00 हे0 क्षेत्र पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु **रू0 9.77 लाख की धनराशि** **E- Payment Portal** के माध्यम से जमा कर बैंक में जमा की गई धनराशि **E- Payment** जमा की मूल रसीद उपलब्ध करायें।

शर्त सं0—2ः— जो कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र सं0 5—3/2007—एफ.सी. दि0 05.02.2009 के तहत में दिये आदेशानुसार वनभूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य **(NPV)** की धनराशि जमा कराने के सम्बन्ध में है, कृपया उक्त प्रकरण में प्रभावित 1.00 हे0 आरक्षित वनभूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य**(NPV) हेतु रूपये 626000/— प्रति हे0 की दर से रूपये 6.26 लाख की धनराशि** **E- Payment Portal** के माध्यम से जमा कर बैंक में जमा की गई धनराशि **E- Payment** जमा की मूल रसीद उपलब्ध करायें।

शर्त सं0—3ः— जो कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचनवद्वता प्रमाण—पत्र उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में है, कि यदि सक्षम स्तर से वनभूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य **(NPV)** की दरों में वृद्वि होती है, तो बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किया जायेगा।

शर्त सं0—4ः— जो कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय निदेशक द्वारा स्वीकृत कराकर प्रेषित करना होगा।

शर्त सं0—5ः— जो कि विधिवत स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वनक्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमाकंन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा, जिसका अक्षॉश व देशान्तर भी मानचित्र एवं पिलर पर दर्शाया जायेगा, और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक पिलर के आगे (For ward) एवं पीछे (Back ward) उनकी दिशा अंकित करनी होगी, के सम्बन्ध में है। कृपया इस आशय का प्रमाण—पत्र उपलब्ध करायें कि उपरोक्त विषयक कार्य प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विधिवत स्वीकृति के बाद तत्काल प्रभावित वनक्षेत्र का बाउन्ड्री पिलर द्वारा सीमाकंन का कार्य करा दिया जायेगा।

E:\Jagat\Draftmen\Letter 2010-11.doc

उपरोक्त सभी शर्तो की परिपूर्ण एवं सुस्पष्ट अनुपालन आख्या, अभिलेख/प्रमाण पत्र 03 प्रतियों में प्राप्त होने के उपरान्त ही वन संरक्षण अधिनियम–1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी कराने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय,

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, इटावा।

पत्रॉक 946/ समदिनॉकः

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को उक्त विषयक सन्दर्भ में उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ।
(2) मुख्य वन संरक्षक, कानपुर मण्डल, कानपुर।
(3) मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा, उ0प्र0, लखनऊ।
(4) जिलाधिकारी, इटावा।
(5) क्षेत्रीय वन अधिकारी, भरथना एवं बढ़पुरा।

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, इटावा।

प्राप्त
5-10-15

E:\Jagat\Draftmen\Letter 2010-11.doc